



ख) स्थानीय सरोकारवाला सँग छलफल गरी नगरपालिका भित्रको जग्गाहरुको सिंचित रअसिंचित क्षेत्र निर्धारण गर्न न.पा. बोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

अनुसूची १

अनुसूची २

ऐनको दफा (१) सँग सम्बन्धित

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने घर बहाल करको दर

दफा (२) सँग सम्बन्धित

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने एकीकृत सम्पति कर

| क्र.सं | विवरण | प्रतिशत | |
|--------|--|---------|--|
| १ | यस न.पा. क्षेत्र भित्रका घर,पसल,ग्यारेज,गोदाम,टहरा,सेड,कारखाना,जग्गावा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएको मा सम्बन्धित धनी बाट बहाल रकमको १० प्रतिशत बहाल कर लिईने छ । | १० | |

अनुसूची ४

ऐनको दफा (५) सँग सम्बन्धित

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने व्यवसाय करको दर

| क्र.सं | व्यवसायको नाम | क श्रेणी रकम रु | ख श्रेणी रकम रु | थोक | कैफियत |
|--------|--|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| १. | किराना पसल | ३०००। | ५०००। | १००००। | |
| २. | पेडा पसल, नास्ता, चिया तथा मिठाई पसल | २५००। | १०००। | | |
| ३. | डिलर तथा थोक बिक्रेता | | | | |
| क | दाल, चामल, खुदी, खरिद बिक्रि पसल | १२००। | १०००। | | |
| ख | चिउरा भुजा बिक्रि पसल | १२००। | १०००। | | |
| ग | पिउने पानी (प्यूरिफायर) बितरण पसल कोक, पेप्सी डिलर | ३०००। | १०००। | | होटलमा भए १००० थप दस्तुर लगाईने |
| घ | आचार पाउ | ५००। | ४००। | | |
| ड | चियापति बिक्री सोरुम | ७००। | ६००। | | |
| च | सखर (गुड) पसल | ५००। | ४००। | | |

Shankar
नेपाल सरकार